APP-A
Crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत........उपखण्ड अधिकारी........मुकाम........कोटा........

किस्म मुकदमा........[illegible]........बनाम........[illegible]........

........L.R. Act 136........नं. ....73........सन्........2025........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/8/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 11/8/25 को पेश हो। 6/8/25	
11/8/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम नांदना उर्फ बडगांव के खाता संख्या 70 में नामान्तरण संख्या 1107 दिनांक 25.07. 2025 विरासत द्वारा गुलाब पत्नि किशोर के वारीसान देवकिशन, देवलाल, भोजराज व हेमराज पुत्र मांगीलाल का नाम दर्ज हुआ। जबकि वारीसान देवकिशन, देवलाल, भोजराज व हेमराज पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1/28 एक प्रविष्टि पूर्व से ही दर्ज है। गुलाब पत्नि किशोर के फौती नामान्तरण से उक्त नाम की दोहरी प्रविष्टि दर्ज हुई जिसे दुरूस्त करवाने हेतु अप्रार्थी द्वारा आवेदन किया है। ग्राम नांदना उर्फ बडगांब के खाता संख्या 70 में विरासत द्वारा देवकिशन, देवलाल, भोजराज व हेमराज पुत्र मांगीलाल की डबल एन्ट्री हुई है। जिससे खाता अपवादित हो गया है। तथा अन्य कार्य सीमित हो गया है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त नाम एक ही व्यक्ति के हैं। जिसे दुरूस्त किया जाना है। अतः उक्त प्रविष्टियों को दुरूस्त किया जाना हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त शुद्धि की जावें। पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि ग्राम नांदना उर्फ बडगांव के खाता संख्या 70 में विरासत द्वारा देवकिशन, देवलाल, भोजराज व हेमराज पुत्र मांगीलाल की डबल एन्ट्री हुई है। उक्त त्रुटी ऑनलाईन म्यूटेशन के कारण हुई है। जिसकी शुद्धि किया जाना उचित है। उपरोक्तानुसार बाद विवेचन प्रार्थना-पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जात है कि ग्राम नांदना उर्फ बड़गांव के खाता संख्या 70 में देवकिशन पुत्र मांगीलाल, देवलाल पुत्र मांगीलाल, भोजराज पुत्र मांगीलाल व हेमराज पुत्र मांगीलाल की दोहरी प्रविष्टि को एक दर्ज किया जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 11/8/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। 11/8/25	